<u>परिपत्र</u>

एनएचबी(एनडी)/डीआरएस-रेग्यू./डीआईआर/ 794 /2002

26 मार्च, 2002

सभी आवास वित्त कंपनियों के लिए

प्रिय महोदय,

विषय : आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001
<u>यूटीआई की यूएस 64 योजना में निवेश</u>

यूटीआई की यूएस 64 योजना में विभिन्न आवास वित्त कंपनियों के निवेश के मूल्यांकन के बारे में उनके अनुरोध को देखते हुए, इस विषय की जांच आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001 में विहित मूल्यांकन मानदंड के प्रसंग में की गई है ।

2. भारत सरकार की 28 दिसम्बर, 2001 की इस प्रेस विज्ञप्ति में कि यूएस 64 की यूनिटें 31 मई, 2003 को या तो 10/- रुपए अथवा उस तारीख को निवल आस्ति मूल्य में से जो भी अधिक है, पर पुनः शोधित की जा सकती हैं, के प्रकाश में यह विनिश्चित किया गया है कि उन आवास वित्त कंपनियों, जो ऐसा करना चाहती हैं, को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन, अपने निवेश को यूएस 64 की यूनिटों में बही मूल्य पर दीर्घावधि के रूप में ले जाने की अनुज्ञा दी जाए :-

क. आवास वित्त कंपनियों के लिए 31 मई, 2003 तक की अवधि में अंकित मूल्य पर प्रीमियम का परिशोधन आवश्यक होगा ।

ख. आवास वित्त कंपनियों को, किसी भी कारण से, इन्हें या तो अंशतः अथवा पूर्णतः परिशोधन की तारीख अर्थात् 31 मई, 2003 से पूर्व, बेचने/कही और ले जाने की अनुमति नहीं होगी ।

भवदीय,

ह./-
(राधेश्याम)
कार्यपालक निदेशक